उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1,

संख्या- 128 /2015/ 5203 /92-1-98डब्लू/2001,

लखनऊ: दिनांक: 31 दिसम्बर: 2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची कार्यालय ज्ञाप संख्या-451/62-9-95-904(67)/87, दिनांक 04-02-1995 द्वारा निर्गत की गयी थी। उक्त ज्येष्ठता सूची मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका संख्या-5585/82 एन0के0 अग्रवाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन निर्गत की गयी थी। इस रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 05-2-90 को निर्णय पारित करके रिट याचिका को स्वीकार कर लिया तथा रिट याचिका में चुनौती दिये गये आदेशों को अपास्त कर दिया गया।

2- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 05-2-90 के विरूद्ध श्री वी0के0 गोयल तथा अन्य अभियन्ताओं द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या-1805 एवं 1807/93 दाखिल की गयी, जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 24-2-94 को निर्णय पारित करते हुए मा0 उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय दिनांक 05-2-90 को निरस्त करते हुए कतिपय निर्देशों सहित मामले की पुन: सुनवाई करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय को प्रति प्रेषित कर दिया। मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 24-2-94 के अनुपालन में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ ने मामले की पुन: सुनवाई की और सुनवाई के पश्चात दिनांक 15-3-2001 को अपना अन्तिम निर्णय घोषित किया, जिसका सुसंगत अंश निम्नवत है :-

'..... Hence, We are of the view that the matter requires reconsideration by the State Government which may pass appropriate orders after givining an opportunity to the petitioner to show cause against the order of deconfirmation and relegating him from serial No. 1 to 40 in the confirmation order and order of confirmation was passed from a subsequent date.

In view of the aforesaid reasons, the writ petition partly succeeds. A writ in the nature of mandamus is issued commanding the State of U.P. to consider the case of the petitioner afresh in accordance with law after giving him an opportunity to the petitioner and pass appropriate orders as indicated in the foregoing paragraph expeditiously, say within 10 weeks from the date of production of the certified copy of this order.

The order dated 12.4.1985 and 15.4.1985 are being quashed."

3- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 15-3-2001 के अनुपालन में सम्यक विचारोपरान्त मौलिक/नियमित नियुक्ति की तिथि से 02 वर्ष बाद की तिथि से स्थायी किये जाने के आदेश निर्गत किये गये, जिससे याची श्री एन0के0 अग्रवाल तथा संबंधित अन्य समस्त सहायक अभियंतागण की मौलिक नियुक्तियॉ परिशोधित हो गयीं।

4- रिट याचिका संख्या-5585/82 एन0के0 अग्रवाल बनाम उ0प्र0 राज्य तथा अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15-3-2001 के अनुक्रम में उत्पन्न नवीन परिस्थिति के दृष्टिगत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंताओं की कार्यालय ज्ञाप संख्या-451/62-9-95-904 (67)/87, दिनांक 4-2-95 निर्गत ज्येष्ठता सूची को निरस्त करते हुए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर प्रतिनियुक्ति पर आये और उसी पद पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में संविलीन हुए सहायक अभियंतागण की ज्येष्ठता-संविलियन की तिथि से, लोक सेवा आयोग से चयनित सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता-आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची में प्रदर्शित नामों के क्रम में मौलिक नियुक्ति की तिथि से तथा पदोन्नति कोटे के सहायक अभियंतागण की ज्येष्ठता- चयन वर्ष के स्थान पर मौलिक नियुक्ति की तिथि/विनियमितीकरण की तिथि से अवधारित करने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-7470/62-3-2001-134डब्लूपी/84टीसी, दिनांक 5-10-2001 द्वारा परिशोधित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची परिचालित करते हुए सहायक अभियंतागण से उनकी आपत्ति/पक्ष-कथन मांगा गया और प्राप्त आपत्तियों/पक्ष-कथनों का सम्यक निस्तारण करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या-8818/62-3-2001-134डब्लूपी/84टीसी, दिनांक 14-12-2001 द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता (सिविल) संवर्ग के अन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित की गयी।

5- उक्त ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में सम्मिलित सहायक अभियंतागण के पश्चात ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति/सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त सहायक अभियंताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची, पूर्व प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 के क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या-1848/92-2012-134डब्लूपी/84टीसी, दिनांक 15-6-2012 द्वारा प्रख्यापित की गयी।

6- श्री नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, जिन्हें ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 के आदेश दिनांक 8-1-1983 द्वारा

वर्कचार्ज के अन्तर्गत वर्क इंजीनियर के रूप में सेवायोजित किया गया था तथा कालान्तर में आदेश दिनांक 12-6-85 द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर तदर्थ नियुक्ति प्रदान की गयी थी और उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली-1989 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 14-12-89 द्वारा सहायक अभियंता के पद पर विनियमित किया गया था एवं तदनुसार ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 में ज्येष्ठता प्रदान की गयी थी, द्वारा वर्क इंजीनियर के रूप में सेवायोजित किये जाने की तिथि अर्थात दिनांक 18-01-1983 से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के अनुतोष हेतु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-9940/2001 दाखिल की गयी। उक्त रिट याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 13-2-2003 द्वारा श्री त्रिपाठी की वर्कचार्ज एवं तदर्थ रूप से की गयी सेवा को जोड़कर सहायक अभियंता के पद पर इनकी वरिष्ठता निर्धारित किये जाने का निर्देश दिया गया।

7- मा0 उच्च न्यायालय का उक्त निर्णय दिनांक 13-2-2003 शासन की स्थापित नीति अर्थात उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 के प्राविधानों के विपरीत होने के कारण शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 13-2-2003 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-18683/2004 उ0प्र0 सरकार व अन्य बनाम नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी योजित की गयी।

8- श्री त्रिपाठी द्वारा कनिष्ठ की तिथि से पदोन्नति हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदन अस्वीकार किये जाने पर मा0 उच्च न्यायालय में एक अन्य रिट याचिका संख्या-11542/2003 नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य योजित की गयी, जिसे रिट याचिका संख्या-10504/2004 फरहत हुसैन आजाद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ निस्तारित करते हुए मा0 उच्च न्यायालय की वृहद पीठ (LLarger Bench) द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-12-2004 के माध्यम से रिट याचिका संख्या-9940/2001 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित पूर्व निर्णय दिनांक 13-2-2003 को "पर-इनक्यूरियम" (PePer-incuriam) घोषित कर दिया गया।

9- श्री त्रिपाठी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 10-12-2004 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-8330/2005 योजित की गयी। मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष राज्य

सरकार द्वारा योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-18683/2004 एवं श्री त्रिपाठी द्वारा योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-8330/2005 जो क्रमश: सिविल अपील संख्या-3348/2015 एवं सिविल अपील संख्या-3349/2015 के रूप में परिवर्तित हुई, उनकी एक साथ सुनवाई करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 07-4-2015 को निर्णय/आदेश पारित किया गया, जिसका संगत एवं क्रियात्मक अंश निम्नवत है :-

"Applying the principle laid down in Direct Recruit Class II Engineering Officers' Association, the writ petitioner is entitled to count service from 12th June, 1985. Moreover, the department has allowed, the benefit of past service to other similarly placed incumbents as observed in the judgment giving rise to the appeal of the department.

Accordingly, we are unable to approve the view taken by the larger Bench to the extent it proceeds on the assumption that past service of the writ petitioner was by way of stop gap arrangement or contrary to the rules.

We, therefore, direct the State to redetermine the seniority after hearing the affected parties within six months. It is made clear that benefit of redetermination of seniority at this stage will not disturb holding of posts by any incumbent and except for benefit in pension other benefit to which the writ petitioner may be found entitled will be given only on notional basis.

The appeal of the writ petitioner is accordingly allowed to the above extent and appeal of the State is accordingly dismissed."

10- मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुक्रम में ज्येष्ठता पुन: निर्धारित करते हुए पदोन्नति किये जाने के अनुतोष हेतु श्री एम0एम0 श्रीवास्तव द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेच लखनऊ के समक्ष रिट याचिका संख्या-637(एस/बी)/2015 योजित की गयी, जिसे अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8-5-2015 को पारित आदेश के संगत एवं क्रियात्मक अंश का विवरण निम्नवत है :-

"The Hon'ble Supreme Court has framed six months time limit to take a decision in the matter. Since the controversy involved in the matter is engaging attention of the Principal Secretary of the Personnel Department to be considered in the light of the judgment of the Hon'ble Supreme Court, we feel it appropriate to dispose of the writ petition with direction to the Principal Secretary of the Personnel Department to consider the petitioner's case also during consideration of other matters in terms of judgment passed by the Hon'ble Supreme Court. Impleadment seeker is also being given liberty to raise his objection, if any, before the authority concerned, which shall be taken care in making decision in the matter.

With the aforesaid observations, the writ petition is disposed of finally."

11- श्री एन0के0 त्रिपाठी के प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-4-2015 के आधार पर ही एक अन्य रिट याचिका संख्या-1100(एस/बी)/1998 रियाज अली बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-7-2015 का संगत अंश निम्नवत है :-

In view of the law laid down by Hon'ble Supreme Court in the case of Secretary, Minor Irrigation Department RES (Supra), we do not find any force in the submission made by learned standing counsel for the state-petitioner. Accordingly, the writ petition being devoid of merit is hereby dismissed.

Since, the petition is pending before this Court since 1998, we hereby direct the State to ensure compliance of the judgment and order dated 6.2.1997 passed by learned Public Services Tribunal in Claim petition No.2150 of 1995 (Riyaz Ali Vs. State of U.P. and Anr.) within a period of three months from the date a certified copy of this judgment is produced before the competent authority.

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश दिनांक 28-7-2015 में निर्देश याचिका संख्या-2150/1995 (रियाज अली बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) के प्रकरण में मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित जिस निर्णय दिनांक 06-2-1997 का उल्लेख किया गया है, उसका विवरण निम्नांकित है :-

"The claim petition is allowed. The opposite parties are directed to prepare a fresh seniority list regarding the petitioner reckoning his seniority from the date of appointment like other 51 Assistant Engineers and 20 Assistant Engineers were regularized later on with retrospective effect and thereafter, after placing the petitioner at proper place, they are to consider and promote the petitioner on the post of Executive Engineer w.e.f. 28.1.95, when juniors than him were promoted on the basis of regularization granted to mim, with retrospective effect. Till then, the petitioner shall not be displaced from the charge of the Executive Engineer (R.E.S.) till, he is considered for promotion according to his seniority, as dertermined in the aforesaid manner and he is considered for promotion, as aforesaid. Cost is made easy. Let the judgment be complied with within three months from the date of its receipt."

12- उपर्युक्त के अतिरिक्त मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-2075/2006 एस0के0 सिंह एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-489/2005 एन0के0 श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-11832/2006, विशेष अनुज्ञा याचिका सी.सी. संख्या-2640/2005 को उपरोक्त संदर्भित आदेश दिनांक 07-4-2015 के आधार पर ही अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए दिनांक 26-10-2015 को निम्नवत आदेश पारित किया गया है :-

"Learned counsel for the petitioners submit that the questions that fall for determination in these petitions stand answered in terms of our order dated 7th April, 2015 passed in Secretary, Minor Irrigation Deptt. & R.E.S. v. Narendra Kumar Tripathi - 2015 (4) SCALE 569. They submit that these petitions could also be disposed off in terms of the said judment. We see no reason to decline that prayer.

These special leave petitions and writ petition are accordingly disposed off on terms similar to the one set out in the judgment, mentioned above.

S.L.P. (C) No . . . . . .of 2015 (CC No.2640 of 2005):

Delay condoned.

In the light of our order dated 7th April, 2015 passed in Secretary, Minor Irrigation Deptt. & R.E.S. v. Narendra Kumar Tripathi - 2015 (4) SCALE 569, we do not see the present to be a fit case for our interference.

The special leave petition is accordingly disposed off."

13- मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त उल्लिखित आदेशों पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त सहायक अभियंता के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से पुनर्निर्धारित किये जाने के सिद्धान्त को **"ThumbThumb RuleRule"** के रूप में स्वीकार करते हुए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंताओं की उपर्युक्त वर्तमान ज्येष्ठता सूची दिनांक 14-12-2001 एवं दिनांक 15-6-2012 को निरस्त करते हुए ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अन्तर्गत समस्त तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से पुनर्निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

14- तदर्थ रूप से नियुक्त अभियंताओं का पुनर्निर्धारण Subject to verification of prescribed recruitment process होगा जो कि तदर्थ नियुक्ति के लिए उस समय अपनाया गया होगा। यदि निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी थी, तो तदर्थ नियुक्ति की तिथि का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

15- अस्तु, मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 07-4-2015 एवं अन्य संगत आदेशों के समादर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सिविल संवर्ग के सहायक अभियंताओं की तैयार अनन्तिम ज्येष्ठता सूची (संलग्न सूची) एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार प्रख्यापित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सिविल संवर्ग के अभियन्ताओं (सहायक/अधिशासी/अधीक्षण) के मध्य परिचालित करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, तो कृपया 15 दिनों के भीतर शासन को अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अवधि के उपरान्त प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर किसी भी रूप में विचार नहीं किया जायेगा।

संलग्नक:- यथोक्त (सूची संलग्न)

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 128 /2015/ 5203 /92-1-2015, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया हस्तगत आदेश ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सिविल संवर्ग के समस्त अभियन्ताओं (सहायक/अधिशासी/ अधीक्षण) के मध्य परिचालित करते हुए निर्धारित अवधि में उनकी आपत्तियां प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

2- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ

3- समस्त अभियन्ता (सहायक/अधिशासी/अधीक्षण) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह० -

(राम रतन)

अनु सचिव।